उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण
प्रेस विज्ञप्ति
30 दिसम्बर 2022

उ.प्र. रेरा ने प्रदेश के 11 प्रमोटरों पर रु0 01 करोड़ 77 लाख से अधिक अर्थदण्ड लगाया

गौतमबुद्धनगर/लखनऊ: उत्तर प्रदेश रेरा की 112 वीं प्राधिकरण बैठक दिनांक 30 दिसम्बर 2022 को श्री राजीव कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में **माननीय सदस्यों श्रीमती कल्पना मिश्रा, श्री टी. वेंकटेश, डॉ. दीपक स्वरुप सक्सेना तथा सचिव श्री राजेश कुमार त्यागी की** उपस्थिति में प्रोमोटरों के **19 मामलों की सुनवाई हुई जिसमे 10 परियोजना पंजीयन, 5 पंजीयन विस्तार तथा 4 उत्तर प्रदेश सरकार से जारी मॉडल एग्रीमेन्ट फॉर सेल के गैर अनुपालन से जुड़े थे**। नए सदस्यों द्वारा एकल पीठ के माध्यम से शिकायतों की सुनवाई प्रारम्भ होगी जिससे शिकायतों के निस्तारण में तेजी आएगी। **प्राधिकरण ने यह भी पाया की सबसे अधिक शिकायतें गौतमबुद्ध नगर तथा लखनऊ से दायर की जा रही है । वर्तमान में लगभग 47000 शिकायतें दर्ज की जा चुकी है जिनमे से लगभग 42000 का निष्पादन किया जा चुका है ।**

बैठक में प्रोमोटरों द्वारा प्राधिकरण के आदेशों के अनुपालन के स्थिति की समीक्षा की गई। प्राधिकरण द्वारा इस बात पर नाराजगी व्यक्त की गयी कि **पर्याप्त समय देने के बाद भी कुछ प्रोमोटरों द्वारा प्राधिकरण के आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।** प्राधिकरण द्वारा अपने आदेशों के कार्यान्वन तथा आवंटियों को शीघ्र न्याय दिलाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और उपर्युक्त पृष्ठभूमि में **प्राधिकरण द्वारा अपने आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा होमबायर्स के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्रमोटरों के विरुद्ध यथोचित अर्थदंड लगाने का फैसला किया गया।**

दोषी प्रमोटर्स के विरुद्ध अर्थदण्ड की कार्यवाही उन्हें प्राधिकरण के आदेशों के त्वरित अनुपालन के लिए बाध्य करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्राधिकरण द्वारा यह दण्डादेश **रेरा अधिनियम की धारा 38/63 के अंतर्गत** अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया जिसमें प्राधिकरण के आदेशों का उल्लंघन करने वाले प्रमोटरों पर परियोजना की लागत के **5 प्रतिशत तक** का अर्थदंड लगाने का प्राविधान है। दंडित किये गए प्रमोटरों का विवरण निम्नवत हैः

क्रम	प्रमोटर का नाम	अर्थदंड की राशि (रुपये में)
1	एसआरबी प्रोमोटर्स प्रा0लि0	₹ 22,10,985.00
2	सिक्का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0	₹ 29,88,065.00
3	रुद्रा बिल्डवेल प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0	₹ 06,09,390.00
4	रुद्रा बिल्डवेल होम्स प्रा0लि0	₹ 49,26,520.00
5	मिस्ट डायरेक्ट सेल्स प्रा0लि0	₹ 20,30,360.00
6	महागुन (इंडिया) प्रा0लि0	₹ 10,61 ,500.00
7	वेल्यूएन्ट इंफ्राडेवलपर्स प्रा0लि0	₹ 12,98,235.00
8	गार्डेनिया इंडिया लि0	₹ 06,85,050.00
9	गौड़संस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0	₹ 06,12,870.00
10	लॉजिक्स बिल्डटेक प्रा0लि0	₹ 06,65,005.00
11	एसडीएस इंफ्राकान प्रा0लि0 तथा एन आर आई टाउनशिप यमुना	₹ 04,51,530.00
कुल		₹ **1,77,19,510**.00 (रुपये एक करोड़ सतहत्तर लाख उन्नीस हजार पाँच सौ दस केवल)

उत्तर प्रदेश रेरा ने सम्बंधित प्रोमोटरों को अपने आदेशों की अनुपालन रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत करने तथा अर्थदंड की धनराशि एक माह के अंदर जमा करने का निर्देश दिया है। ऐसा न कर पाने की स्थिति में अर्थदंड की धनराशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल कराया जाएगा।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश रेरा के अध्यक्ष श्री राजीव कुमार द्वारा कहा गया कि उत्तर प्रदेश रेरा घर खरीदारों के हितों के प्रति असंवेदनशील प्रमोटर्स के विरुद्ध लगातार कड़े फैसले ले रहा है। रेरा प्राधिकरण घर खरीदारों के हितों के संरक्षण हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और रेरा अधिनियम के अनुसार प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर को विनियमित करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है।

राजेश कुमार त्यागी
सचिव,
उ.प्र. रेरा

Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Press Release
30th December 2022

U.P. RERA imposes penalty of over Rs. 1 crore 77 lakhs against 11 promoters

Gautam Budh Nagar/ Lucknow: **112th meeting of U.P. RERA held under the chairmanship of Sh. Rajive Kumar on 30th December 2022. Total 19 hearings were done during the session in which 10 for project registration, 5 for registration extension and 4 against the disobedience of model agreement of sales notified by government of Uttar Pradesh.** The authority mentioned its note for the new additions in the organisation as members of U.P. RERA. Both of the members **Sh. T. Venktesh and Dr. Deepak Swaroop Saxena will start hearings of the cases through single bench.** This will support U.P. RERA to dispose-of pending cases at the earliest.

Authority notified its discontentment about the non-compliance of orders by the promoters even after getting enough time. In today's hearing U.P. RERA has imposed penalty of Rs. 1,77,19,510 on total eleven real estate promoters. **It's also been notified by Authority that Gautambuddh Nagar and Lucknow are top two districts among ten in terms of number of complaints filed. Presently more than 47000 complaints have been registered and more than 42000 have been disposed.** The action of penalty against the guilty promoters is an important step towards compelling them to comply with the orders of the Authority. Taking the above facts in to account, the Authority decided to impose appropriate penalty against the promoters to ensure compliance of its orders and protect the interests of the home buyers.

The Authority, using its powers under section 38/63 of the RERA Act which empowers it to penalise the non-compliant promoters with up to 5% of the cost of the project, decided to impose penalty against the promoters as per the details given below:

S. no.	Name of the Promoter	Amount of the Penalty (in Rupees)
1	SRB Promoters Pvt. Ltd.	₹ 22,10,985.00
2	Sikka Infrastructure Pvt. Ltd.	₹ 29,88,065.00
3	Rudra Buildwell Projects Pvt. Ltd.	₹ 06,09,390.00
4	Rudra Buildwell Homes Pvt. Ltd.	₹ 49,26,520.00
5	Mist Direct Sales Pvt. Ltd.	₹ 20,30,360.00
6	Mahagun(India) Pvt. Ltd	₹ 10,61,500.00
7	Valiant Infradevelopers Pvt. Ltd.	₹ 12,98,235.00
8	Gardenia India Pvt. Ltd.	₹ 08,65,050.00
9	Gaur Sons Infrastructure Pvt. Ltd.	₹ 06,12,870.00
10	Logix Buildtech Pvt. Ltd	₹ 06,65,005.00
11	SDS Infracon Pvt. Ltd NRI Township Yamuna	₹ 04,51,530.00
Total		₹ **1,77,19,510.00** (Rupees one crore seventy seven lakh nineteen thousand five hundred ten only)

The Authority further directed the promoters to submit the compliance report of its orders within 15 days and deposit the amount of penalty within 30 days, otherwise the amount of penalty shall be recovered as arrears of land revenue.

On this occasion **Sh. Rajive Kumar, Chairman, U.P. RERA** said that Uttar Pradesh RERA is continuously taking strict decisions against the insensitive promoters for protection of the interests of the home buyers. The Authority is fully committed to protect the interests of home buyers and, for this, the Authority is taking all possible steps to regulate the real estate sector of the state according to the RERA Act.

Rajesh Kumar Tyagi
Secretary
U.P. RERA